

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एवं पंचायतें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 22 जून, 2018

विषय:- प्रदेश के नव सृजित 02 जनपदों-गौतमबुद्ध नगर एवं संतकबीर नगर में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत जनपदीय कार्यालयों की स्थापना तथा पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-568/अ-5/2018, दिनांक 15-03-2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, प्रदेश में नव सृजित 02 जनपदों-गौतमबुद्ध नगर एवं संतकबीर नगर में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में एक-एक जनपदीय कार्यालय की स्थापना किये जाने तथा संलग्न तालिका-1 में उल्लिखित कुल 05 अस्थायी पदों को शासनादेश जारी होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप जनपदीय कार्यालयों की स्थापना हेतु क्रय किये जाने वाले सामग्री स्टोर परचेज नियमों एवं समय-समय पर जारी अन्य शासनादेशों/निर्देशों तथा मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त क्रय की जायेगी।

4- उपर्युक्त पद धारकों को वेतन के अतिरिक्त मँहगाई भत्ता, अन्य भत्ता आदि जो शासन द्वारा समय-समय पर देय होंगे, अनुमन्य होंगे।

5- उक्तानुसार सृजित किये जा रहे समस्त श्रेणी के पदों को उपलब्ध सेवा नियमावली के संगत उपलब्ध कैडर में वृद्धि के रूप में सम्मिलित माना जायेगा।

6- चतुर्थ श्रेणी (चपरासी/चौकीदार) के पदों का कार्य केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से कराया जायेगा।

भवदीय

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

...2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

....2...

संख्या-10/2018/आडिट-1-227(1)/दस-2018, तदद्दिनांक।

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
2. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
5. वित्त विभाग के समस्त अनुभाग।
6. कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद एवं जनपद लखनऊ।
7. सहकारिता विभाग/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

बराती लाल
उप सचिव।

तालिका-1

शासनादेश संख्या-10/2018/आडिट-1-227/दस-2018-322(12)/11, टी0सी0-2 दिनांक 22 जून, 2018 का संलग्नक।

(क) 02 जनपदीय कार्यालयों गौतमबुद्ध नगर एवं संतकबीर नगर हेतु

क्रम सं०	पदनाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार वेतन मैट्रिक्स	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	-	लेवल-10 रू0 56100-177500/-	शासनादेश संख्या-आडिट-2790/दस-2012-300(2)/12, दिनांक 16 नवम्बर, 2012 के द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के कुल 119 पद सृजित हैं।
2.	प्रधान सहायक	01	लेवल-6 रू0 35400-112400/-	
3.	वरिष्ठ सहायक	01	लेवल-5 रू0 29200-92300/-	
4.	कनिष्ठ सहायक	01	लेवल-3 रू0 21700-69100/-	
5.	चतुर्थ श्रेणी (चपरासी/ चौकीदार)	02	आउट सोर्सिंग के माध्यम से	
		कुल पद-05		

बराती लाल
उप सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।